

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 केम्प :- सिमरखिया

क्रमांक /रीडर/ 2021/

790

दिनांक :- 29.11.2021

मुकदमा नंबर 47/19

प्राथी	वनाम	विप्रार्थीगण
1. सोहनसिंह पुत्र हीरसिंहजी जाति पुरोहित उम्र 75 साल निवासी साथुनी पुरोहितान, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1. रतनसिंह पुत्र पूंजराजसिंह जाति राजपूत 2. प्रेमसिंह पुत्र गिरधारीसिंह राजपुरोहित 3. नरसिंग भारती पुत्र कुनभारती जाति भारती 4. भंवरसिंह पुत्र लालसिंह राजपुरोहित 5. किशनसिंह पुत्र दुर्गसिंह जाति राजपूत, सभी निवासी साथुनी पुरोहितान, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 6. राजस्थान सरकार भूमिधारक जरीये तहसीलदार पचपदरा।



आदेश

दिनांक :-

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सिमरखिया में पेश हुई। उपर्युक्त, प्रकरण मौजा साथुनी पुरोहितान, पटवार क्षेत्र सिमरखिया, पटवार क्षेत्र सिमरखिया, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील पचपदरा में मूल खसरा नंबर 95 रकबा 35 बीघा 17 विस्वा सरहद विवादित। भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

~~उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें~~

(नरेश सोनी)

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

दिनांक 29-11-2021

क्रमांक /रीडर/ 2021/

791

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थानाको पालना हेतु
3. पटवारी सिमरखिया तहसील पचपदरा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
4. प्रार्थीगण सोहनसिंह पुत्र हीरसिंहजी जाति पुरोहित निवासी साथुनी पुरोहितान,
5. विप्रार्थीगण रतनसिंह पुत्र पूंजराजसिंह जाति राजपूत निवासी साथुनी पुरोहितान वगैरह



उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

केम्प 29.11.2021